न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:–05/2020 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा–हनुमानगढ़, जरिये प्राधिकृत अधिकारी
––प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

श्री भगवान दास गर्ग पुत्र श्री मेला राम गर्ग पता–वार्ड नं.–15, पंजाबी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ़ टाऊन, जिला–हनुमानगढ़(राज.)
––ऋणी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रा.पत्र

आदेश दिनांक:–08.10.2020

प्रार्थी बैंक ऑफ़ इंडिया, शाखा हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी द्वारा ऋण राशि की ऐवज में हाइपोथिकेटेड चल सम्पत्ति– **Volkas Wagon Ameo, HR-24-X-7547, Engine No. CJL127540, Chasis No. MEXJ16601HT072497.** पता–वार्ड नं. 15 पंजाबी मोहल्ला बस स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़(राज.) स्थित है, जिसको ऋण अदायगी हेतु प्रतिभूति कसर के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति प्रार्थी बैंक के हक में बंधक व निष्पादन किया।

ऋणी द्वारा ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी को दिनांक 01.06.2019 को मांग नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 3,93,471.81/–(अखरे रूपये तीन लाख तिरानवे हजार चार से इकहतर एवं पैसे इक्यासी मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा चल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त

Web Copy - Not Official

करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार चल सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक हाइपोथिकेटेड चल सम्पत्ति– **Volkas Wagon Ameo, HR-24-X-7547, Engine No. CJL127540, Chasis No. MEXJ16601HT072497.** पता–वार्ड नं. 15 पंजाबी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़(राज.), जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया को उक्त चल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ इण्डिया को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़